

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0प्र0लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

विषय:- "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" अन्तर्गत प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय के जनपद में एक-एक विद्यालय संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-शि0नि0(मा0)/10060/2015-16, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" अन्तर्गत प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय के जनपद में एक-एक विद्यालय संचालन के संबंध में अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु 191 मॉडल विद्यालयों को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मॉडल (पी0पी0पी0 मॉडल) पर संचालित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-1159/15-7-2015-1(23)/2014, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 निर्गत किया गया है। उपरोक्त 191 मॉडल स्कूलों में से प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय के जनपद में एक-एक मॉडल विद्यालय (18 विद्यालय) को "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" के नाम से आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। फैजाबाद तथा कानपुर मण्डल मुख्यालय के जनपद में कोई मॉडल विद्यालय स्वीकृत नहीं है, अतः फैजाबाद मण्डल में जनपद सुल्तानपुर तथा कानपुर मण्डल में जनपद कन्नौज को उक्त योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत विद्यालयों का स्वरूप पूर्णतया राजकीय होगा, विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	मण्डल	जनपद	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्ड	मॉडल स्कूल स्थल	कुल अधिगृहीत/ उपलब्ध भूमि - एकड़ में	विकास खण्ड मुख्यालय से दूरी
1.	आगरा	आगरा	बाह	मॉडल स्कूल बिजौली	9.14	03 कि0मी0
2.	अलीगढ़	अलीगढ़	जवां सिकन्दरपुर	मॉडल स्कूल छलेसर	14.14	12 कि0मी0
3.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	चाका	मॉडल स्कूल दौदपुर	1.12	01 कि0मी0
4.	आजमगढ़	आजमगढ़	महाराजगंज	मॉडल स्कूल तेरही	03.50	08 कि0मी0
5.	बस्ती	बस्ती	गौर	मॉडल स्कूल बभनान	8.32	03 कि0मी0
6.	गोरखपुर	गोरखपुर	कैम्पियरगंज	मॉडल स्कूल नेतवर बाजार	5.07	05 कि0मी0
7.	बरेली	बरेली	मझगवां	मॉडल स्कूल अतछेड़ी	5.51	12 कि0मी0
8.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	बनियाखेड़ा	मॉडल स्कूल नरायनपुरदेवा	4.61	15 कि0मी0

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9.	चित्रकूट	चित्रकूट	पहाड़ी	मॉडल स्कूल सरधुवाँ	5.73	15 कि०मी०
10.	झाँसी	झाँसी	वामौर	मॉडल स्कूल कुरैठा	11.00	11 कि०मी०
11.	देवीपाटन	गोण्डा	झंझरी	मॉडल स्कूल कंसापुर प्रथम	11.35	08 कि०मी०
12.	फैजाबाद (मण्डल मुख्यालय में कोई मॉडल स्कूल स्वीकृत नहीं है)	सुलतानपुर	भदैया	मॉडल स्कूल टिकरीपन्ना	8.77	04 कि०मी०
13.	कानपुर (मण्डल मुख्यालय में कोई मॉडल स्कूल स्वीकृत नहीं है)	कन्नौज	जलालाबाद	मॉडल स्कूल फतेहपुर जसोदा	13.27	13 कि०मी०
14.	लखनऊ	लखनऊ	मोहनलालगंज	मॉडल स्कूल करौरा	3.16	16 कि०मी०
15.	मेरठ	मेरठ	परीक्षितगढ़	मॉडल स्कूल बली	6.84	07 कि०मी०
16.	सहारनपुर	सहारनपुर	मुजफ्फराबाद	मॉडल स्कूल कालूवाला पहाड़ीपुर	7.31	16 कि०मी०
17.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	पहाड़ी	मॉडल स्कूल भोजपुर	05.00	08 कि०मी०
18.	वाराणसी	वाराणसी	आराजीलाइन	मॉडल स्कूल आराजीलाइन	08.00	10 कि०मी०

2- "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" के अन्तर्गत संचालित होने वाले विद्यालयों का स्वरूप पूर्णतया राजकीय होगा, जिसके मुख्य विन्दु निम्नवत हैं:-

- (I) "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" के अन्तर्गत उक्त विद्यालयों का संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- (II) उक्त विद्यालय सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से संबद्ध होंगे। इन विद्यालयों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाने तथा अंग्रेजी भाषा के शिक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा। विद्यालयों में सह-शिक्षा होगी तथा सी०बी०एस०ई०/एन०सी०ई०आर०टी० के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षण कार्य किया जायेगा।
- (III) ये विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित होंगे, जिसमें दो-दो सेक्शन होंगे। "निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के प्राविधानों के दृष्टिगत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक प्रति सेक्शन अधिकतम 35 छात्र तथा आगे की कक्षाओं में प्रति सेक्शन अधिकतम 40 छात्र होंगे। शिक्षा के विस्तारीकरण व जनहित के दृष्टिगत यदि कक्षा व सेक्शन वृद्धि की आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शारानादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शारानादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ग्रेजुएट टीचर (टी0जी0टी0 कक्षा 6 से 10 के शिक्षण हेतु) तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन हेतु साक्षात्कार मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

(1)	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	चेयरमैन
(2)	सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य-सचिव
(3)	एक प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जो शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), 30प्र0 द्वारा नामित होगा।	सदस्य
(4)	जिला विद्यालय निरीक्षक जो मण्डलायुक्त द्वारा नामित होगा	सदस्य

प्रतिबन्ध यह कि क्रमांक 3 और 4 एक ही जनपद से नहीं होंगे।

- (ड) अभिनव विद्यालय के प्रधानाचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पी0जी0टी0 कक्षा 11 व 12 के शिक्षण हेतु), ट्रेण्ड ग्रेजुएट टीचर (टी0जी0टी0 कक्षा 6 से 10 के शिक्षण हेतु) तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों का चयन, आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक तथा उपर्युक्त समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये गये अंक के जोड़ के आधार पर बनायी गयी मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण तत्समय उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देय होगा। भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)/विकलांग अभ्यर्थियों को भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लिखित आरक्षण देय होगा।
- (छ) "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" के अन्तर्गत इन विद्यालयों का क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण, समीक्षा आदि समस्त कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, 30प्र0 द्वारा किया जाएगा।

4- प्रकरण में उपरोक्तानुसार शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

पू0सं0-1895(1)/15-7-2015,तद्विनांक

प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक, 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

- (IV) प्रथम वर्ष (शैक्षिक सत्र 2016-17) में इन विद्यालयों को गैर आवासीय सह-शिक्षा विद्यालयों के रूप में तथा आगामी शैक्षिक सत्र से आवासीय सह-शिक्षा विद्यालयों के रूप में संचालित किया जायेगा। नामांकित व इच्छुक छात्र/छात्राओं तथा शिक्षको/कर्मचारियों के आवास हेतु विद्यालय परिसर में छात्रावास निर्माण, भोजनादि व अन्य यथावश्यक मदों में आगणित/अपेक्षित धनराशि का प्राविधान आगामी वित्तीय वर्ष के राज्य बजट में कराया जाय।
- (V) "निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के प्राविधानों के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विद्यालय में प्रवेश हेतु किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया अपनाने पर रोक है। वर्णित परिस्थितियों में कक्षा 06 से 08 तक प्रवेश "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विकासखण्ड के बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रवेश हेतु विस्तृत प्रक्रिया सम्बन्धी कार्ययोजना बनायी जायेगी। कक्षा 09 एवं 11 में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु चयन योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। उक्त योग्यता परीक्षा को "समाजवादी अभिनव विद्यालय चयन परीक्षा" के नाम से जाना जायेगा। योग्यता परीक्षा का सम्पादन, क्रियान्वयन, समय-सारणी, दायित्व निर्धारण आदि की विस्तृत कार्ययोजना माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त कर लागू की जायेगी।
- (VI) इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के चयन हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं, आयु, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तें/नियमावली आदि का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करा कर 30प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3- इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

- (क) अभिनव विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और गैर शैक्षिक कर्मचारियों का चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। संबंधित परीक्षा का आयोजन किसी अनुभवी और प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से कराया जाय।
- (ख) परीक्षा में उत्तीर्ण व अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मेरिट लिस्ट के अनुसार कराया जायेगा। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 1:4 अनुपात के आधार पर साक्षात्कार लिया जायेगा।
- (ग) अभिनव विद्यालय के प्रधानाचार्य चयन में साक्षात्कार प्रमुख सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

(1)	प्रमुख सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2)	राज्य परियोजना निदेशक, 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, 30प्र0।	सदस्य
(3)	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 30प्र0।	सदस्य
(4)	शिक्षा निदेशक (बेसिक), 30प्र0।	सदस्य
(5)	ख्याति प्राप्त एक शिक्षाविद् जो प्रमुख सचिव/सचिव (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा नामित होगा।	सदस्य
(6)	शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), 30प्र0।	सदस्य-सचिव

- (घ) अभिनव विद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पी0जी0टी0 कक्षा 11 व 12 के शिक्षण हेतु), ट्रेण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



राजकीय अभिनव विद्यालय, टिकरी पन्ना

भदैया, सुलतानपुर

पत्रांक : ११५६ / ०१ /

2024-25 /

दिनांक : ०१.०५.२०२५

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
नई दिल्ली।

विषय: सोसाइटी / ट्रस्ट / कंपनी रजिस्ट्रेशन / नवीनीकरण
प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि
सन्दर्भ विद्यालय केली सोसाइटी / ट्रस्ट / कंपनी रजिस्ट्रेशन
के अन्तर्गत स्थापित नहीं है, बल्कि यह विद्यालय पूर्णतया
राजकीय (Govt.) क्षेत्र का विद्यालय है। जिसका विमान-व्ययन
संचालन अनुभवण, स्वीक्षा आदि स्वतन्त्र कार्य माध्यमिक
शिक्षा विदेशालय, उ०पु० द्वारा किया जाता है। इस सन्दर्भ में प्रमुख
सचिव शिक्षा के पत्रांक ०५ दिसम्बर, २०१५ के पत्र संख्या - २६/२०१५/
१८९५/१५-७-२०१५-१(२५)/२०१५ का पत्र अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः आपसे आग्रह है कि संलग्न शासनादेश का सन्दर्भ
गृहण करते हुए सम्बद्धता विज्ञापन (Affiliation Extension) के
का कष्ट करें।

Principal

Abhinav Vidyalaya Tikari Panna
Bhadaiyan, Sultanpur